दिनांक : 11.12.2011

प्रेषक :

l j ; jk ;]

402, लोटस अपार्टमेंट

डोरण्डा, राँची।

ekuuh ; e[;e=h th]

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में दायर याचिका संख्या W.P. (S) No. 2944 of 2011 में नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार ने 24.11.2011 को प्रति शपथ पत्र दायर किया है। प्रति शपथ पत्र के साथ नगर विकास विभाग का संकल्प संख्या–230, दिनांक 13.7.2011 संलग्न किया गया है, जिसमें झारखंड विधान सभा की कार्यान्वयन समिति के प्रतिवेदन पर तत्कालीन महाधिवक्ता एस.बी. गाड़ोदिया द्वारा 26.4.2007 के दिये गये मंतव्य का एक अंश अंकित है। महाधिवक्ता महोदय के लीगल ओपिनियन को यह अंश पांच अभियंताओं (चार अभियंता प्रमुख और एक मुख्य अभियंता) की जांच समिति के प्रतिवेदन (9.4.2008) और निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग के मुख्य अभियंता के मंतव्य 6.8.2010 निगरानी आयुक्त 102/09 एवं 2 न. वि. यो. /सि.ड्रे./07/05 के संदर्भ में निगरानी आयुक्त द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग को प्रेषित) द्वारा गलत साबित हो चुकी है। इसके बावजूद नगर विकास विभाग के अधिकारी इसका उपयोग कर रहे हैं। महाधिवक्ता के इस गलत मंतव्य का उपयोग मंत्रिमंडल से संकल्प पारित कराने के लिये किया गया है। इसके पूर्व इस गलत मंतव्य का उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय (मुकदमा संख्या–W.P. (C) No. 4009/2010 दिनांक 25.4.2011 में भी हुआ है। नगर विकास विभाग के उपर्युक्त संकल्प में उल्लेख भी है कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता के गलत मंतव्य पर आधारित उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एल.पी.ए. नहीं दाखिल करने का निर्णय लिया है। प्रति शपथ पत्र में नगर विकास विभाग ने दिनांक 17.11.11 को हुई एवं बैठक की कार्यवाही भी संलग्न किया है, जो स्वतः स्पष्ट है। नगर विकास विभाग के संकल्प और बैठक की कार्यवाही संलग्न है।

एक ओर झारखंड उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय, जिसमें महाविधवक्ता को गलत मंतव्य उपलब्ध है, के विरुद्ध एल.पी.ए. नहीं दायर करना चाह रही है और इसके आधार पर करीब 13 करोड़ रुपये का भुगतान मेनहर्ट परामर्शी को कर दिया है। जबकि झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ (माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीश एन.एन. तिवारी, मुकदमा संख्या W.P. (P.I.C.) No. 735/2011 के निर्णय के अनुसार इसी मामले की जांच सरकार नहीं होने दे रही है। खंडपीठ का यह निर्णय निम्नांकित है–The Petitioner may approach the Director General (Vigilance) and in case substance is found in his allegation, appoprtiate steps in accordance with law may be taken. इस निर्णय के आधार पर प्रार्थी ने डी.जी.पी. विजिलेंस के समक्ष लिखित आवेदन दिया। इस आवेदन पर आई.जी. (विजिलेंस) ने 22.9.2010 को पत्र लिखकर

निगरानी आयुक्त से मार्गदर्शन मांगा। पुनः 4.12.10, 20.1.11 और 28.3.11 को स्मार पत्र दिया। परंतु निगरानी आयुक्त के यहां से आज तक इस बारे में मार्गदर्शन मौजूद नही मिला जबकि अनियमितता के प्रमाण निगरानी आयुक्त के पास है। इस बारे में राष्ट्रपति शासन के दौरान महामहिम राज्यपाल के सलाहकार के आदेश पर निगरानी तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा समर्पित जांच का प्रतिवेदन निगरानी आयुक्त के यहां संचिका में मौजूद है।

आश्चर्य है कि एक ही मामले में राज्य सरकार महाधिवक्ता के गलत मंतव्य को मान रही है और इसके परिप्रेक्ष्य में झारखंड उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय के आधार पर कई करोड़ रुपया के भुगतान कर दे रही है। पर इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर अनियमितता के प्रमाण रहने के बावजूद निगरानी जांच नहीं होने दे रही है। स्मरण होगा कि 01.08.11 को मैंने इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। इसके बाद भी दो–तीन बार इस जांच के बारे में बातचीत हुई। परन्तु मामला जस का तस है। इस कारण भविष्य में करोड़ों रुपया की परियोजना के क्रियान्वयन में भी अनियमितता की प्रबल आशंका बनी हुई है।

सधन्यवाद,

भवदीय

¼lj;w jk;½

सेवा में,
Jh vtqZu eq.Mk
माननीय मुख्य मंत्री
झारखंड सरकार
राँची।